भारत सरकार **राज्य सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1314**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 02 अगस्त 2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

सिक्किम में चाय उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन

1314 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की, इस तथ्य के मद्देनजर कि सिक्किम सभी छह जिलों में चाय बागानों को प्रोत्साहित कर रहा है, उक्त राज्य में चाय उत्पादकों को सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने की मंशा है;
(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी; और
(ग) क्या सिक्किम के चाय उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए किसी विशिष्ट कार्यक्रम की या कोई विशिष्ट पहल किए जाने की योजना बनाई गई है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): चाय बोर्ड, वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृत अपनी चाय विकास और संवर्धन योजना के तहत, पूरे देश में (सिक्किम सहित) चाय उत्पादकों को विभिन्न गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुरानी और जीर्ण चाय की झाड़ियों का पुनः रोपण, चाय की नर्सरी तैयार करना, छोटे उत्पादकों को स्वयं सहायता समूहों/किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करना और उन्हें फील्ड मशीनीकरण उपकरण, पत्ती वाहक वाहन, छंटाई मशीनें और मिनी चाय फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए सहायता जैसी सामान्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। चाय बोर्ड चाय के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए फील्ड प्रबंधन कार्यप्रणालियों और पौध संरक्षण सूत्रीकरण अनुप्रयोग पर चाय उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

चाय बोर्ड, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सिक्किम चाय सहित भारतीय चाय को नियमित रूप से बढ़ावा देता है। सिक्किम चाय का प्रचार चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार कार्यक्रमों, मेलों, प्रदर्शनियों, चाय चखने और चाय के नमूने लेने की गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से और विदेशों में विभिन्न भारतीय मिशनों के माध्यम से किया जाता है।

***